

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-720) अलेसे-1/175-183

दिनांक:- 16/05/2025

आदेश

श्री मदन लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं. 3006), कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1951 के नियम 8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है।

अतः श्री मदन लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं. 3006), कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर का नाम परिवर्तित कर "मदन लाल" के स्थान पर "मदन लाल बुनकर" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-720) अलेसे-1/175-183

दिनांक:- 16/05/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. श्री मदन लाल बुनकर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय- मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-।